


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील/रेकटी. संख्या32/2016जिला.....सीकर.....

उत्तर - वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर बनाम मै. करगिल इण्डिया प्रा.लि., जयपुर द्वारा
झाड़वर अजीत सिंह पुत्र सवाई सिंह, दातारामगढ।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.01.2017	<p align="center"><u>एकलपीठ कैम्प जयपुर</u> <u>श्री खेमराज, अध्यक्ष</u></p> <p>पत्रावली पेश हुई। विभागीय पैरोकार श्री एन.के.बैद उपस्थित। श्री बैद की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर निर्णय लिखाया गया।</p> <p>यह संशोधन प्रार्थना-पत्र अपील संख्या 91/2010/सीकर में आदेश दिनांक 05.09.2016 में संशोधन बाबत पेश किया गया है।</p> <p>उपरोक्त प्रकरण में लिपिकीय त्रुटि के कारण निर्णय में "वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जयपुर" हो गया था, जबकि "वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर" होना चाहिए था। मूल निर्णय के पैरा संख्या 1 की पाँचवी पंक्ति में सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर टंकित हो गया था। जबकि वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर होना चाहिए था।</p> <p>अतः उक्त प्रकरण अपील/91/2010/सीकर में "वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जयपुर" एवं सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर के स्थान पर "वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर पढा जावे।"</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p align="right">  अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड अजमेर </p>	